कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्थापन/एफ–6/स्थानान्तरण विविध/वो.2/2018 दिनांक 11.10.18

अति–आवश्यक/तत्काल

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा,

विषयः– आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में।
प्रसंगः– मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक स/मुस/निर्वाचन/2018/01814 दिनांक 09.10.18

विधानसभा आम चुनाव 2018 हेतु राज्य में दिनांक 06.10.18 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेशो के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश तत्काल पालनार्थ जारी किये जाते है:–

1. उक्त आदेशो की पालना में जो कार्मिक अब तक कार्यमुक्त नहीं हुए है, उन्हे अब कार्यमुक्त नही किया जावे।
2. जो कार्मिक/शिक्षक/संस्था प्रधान कार्यमुक्त हो गये है किन्तु उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नही किया है, वे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) में आदेशो की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करेंगे।
3. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है उक्त दिशा–निर्देशो की पालना अधीनस्थ कार्यालयो/संस्था प्रधानो द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को निर्देश प्रदान किये जाते है कि निम्नानुसार पृथक–पृथक सूचना निदेशालय को दिनांक 12.10.18 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें:–
5. आदेशो की प्रतीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिको/शिक्षक/संस्था प्रधान की सूची जिलेवाल/पदवार निदेशालय की ईमेल आईडी prsectionele@gmail.com पर निम्नानुसार प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करावे:–

प्रपत्र

जिलाः–
पद नामः–

क्र. सं	नाम	पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पद व पदस्थापन स्थान
1	2	3	4

निदेशक, 11/10/18
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्ष विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।

निदेशक 11/10/18
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर